

प्रश्न सं. [क. 2088]

परिधि-1

क. नालय विधायक खाद्य, औषधि प्रशासन
एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / 3 / खाद्य / 2 / 19 / 06

3765

भोपाल, दिनांक 31-3-19

प्रति,

समस्त अभिहित अधिकारी
एवं उपसंचालक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश।

विषय : खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्वहन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्वहन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार "किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।"

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में तम्बाकू युक्त एवं निकोटीन युक्त गुटका जैसे खाद्य पदार्थ का निर्माण एवं विक्रय न होना सुनिश्चित करें। ऐसे खाद्य पदार्थों का संग्रह पाये जाने पर उन्हें नियमानुसार जप्त कर उन्हें केन्द्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। ऐसे खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (कारोबार का अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत किसी भी खाद्य व्यवसायी को न तो पंजीकृत किया जाए और न ही उसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की जाए।

आयुक्त
खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 3 / खाद्य / 2 / 19 / 06 3766-67

भोपाल, दिनांक 31-3-19

प्रतिलिपि :-

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश

True Copy

DEVENDR K. VERMA
Senior Food Safety Officer (Gazatted)
DDO & Office Superintendent
Food & Drugs Administration
Madhya Pradesh